

श्री नरपत व अन्य बनाम श्री कन्दैयालाम व अन्य

विस्तार नुकदमा

मु0न0 116 सन 2013



दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
2-03-18	<p>वकील करी (उपास्थान) वकील प्रतिवादी अतुंग वकील वदी की वदत गुणपत्र अस्धार निषेधाज्ञा पर सुनी गई जिनके कवन कमेन्टरी उनके पार्थना-पत्र अनुसार ही रहे। वदत के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मामला प्रथम दृष्टया गुणगण के पक्ष में वदत नहीं पाया जाता है तथा सद्व्यवस्था का अनुक्रम क अग्रणीय सति का विन्दु भी गुणगण के पक्ष में वदत नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम खैरिया की वदत अन्तर्गत वर्ष 1263 वाकत अस्धार निषेधाज्ञा गुणपत्र स्वीकार शुद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। अदेश सुले न्यायालय में सुनाया गया। जिसका कैसल नुम्बर डोकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर